

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई०एल्०आर०  
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार  
 श्रीमान-नी, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र परिवार रजिशन  
 कार्ड के आधार पर लकैवर पालि जयपाल सिंह के स्थान पर कोमल कँवर पालि  
 जयपाल सिंह लिखा जाना प्रस्तावित है

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुदागौडजी

क्रमांक राजस्व/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्तमाननुसार आवेदक  
 का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त मियो जाने की अभिरांया की जाती है / नहीं  
 की जाती है।

1760  
29/11/21

उत्तर किमा आण  
डयिद

29/11/2021  
तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुदागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला बुंशुनू (गज.)

-- आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०)  
 उदयपुरवाटी/गुदागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में  
 निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुदागौडजी को राजस्व  
 रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमावन्दी सन्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	बांगोली	2075-78	62	लकैवर पालि जयपाल सिंह	कोमल कँवर पालि जयपाल सिंह

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की  
 पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 1736-37

प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 29/11/21

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुदागौडजी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया

को सूचनार्थ।



उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी